न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/191

1. धनराज नागर
2. रामहेत नागर पिसरान मोहन लाल जाति धाकड निवासी ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 92 ए के अन्तर्गत ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा की कुल 05 किता की 7.60 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 693 रकबा 4.90 हैक्टर भूमि पर केचमेंट विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 0.04 हैक्टर कायम कर खेत के बीचों बीच दर्शा दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 692 रकबा 0.04 हैक्टर का मौके पर कोई वजूद नहीं है मात्र वादीगण को परेशान करने के ध्येय से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खेत के बीचों बीच आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 0.04 हैक्टर कायम किया है जो खसरा नम्बर 692 को रिकॉर्ड में चालू पडत सरकार अंकित कर दिया जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 693 रकबा 4.90 हैक्टर के बीचों बीच केचमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से कायम किये गये आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 0.04 हैक्टर को नक्शे में से हटाये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा तद्नुसार नक्शा में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2016 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी कायम किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । सेटलमेंट विभाग, केचमेंट विभाग को नक्शा ट्रेस या रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि सिवायचक रकबा दर्ज हो जाने से भविष्य में उक्त रकबा आवंटन होने या रास्ता आदि का विवाद होने पर अपीलान्ट के लिए दुविधा होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, लाडपुरा से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई । उक्त मौका रिपोर्ट से साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि केचमेंट विभाग द्वारा बाद केचमेंट राजस्व नक्शे में जिस स्थान पर दर्शाई गई है वह पूर्व में भी उसी स्थान पर स्थित थी और इस स्थान पर पूर्व से ही माताजी का स्थान बना हुआ है जिस पर ग्रामवासी दर्शनार्थ आते हैं । जिससे पूर्णतया साबित है कि केचमेंट विभाग द्वारा नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 92ए के अन्तर्गत पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा